राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सियल ऐरिया, सी–स्कीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर–16)

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ / स्मार्टराज / ऑनलाईन / डीएलबी / 2017 / 16643 जयपुर, दिनांकः 31/7/2017.

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार द्वारा राज्य के नगरीय क्षेत्रों में भवन निर्माण स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन किये जाने का निर्णय लिया गया है एवं इस निर्णय के क्रम में स्वायत्त शासन विभाग की ई–गवर्नेंस के अन्तर्गत स्मार्टराज योजना के तहत राज्य की समस्त निकायों हेतु सिंगल विण्डो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से Online Building Plan Approval System (BPAS) दिनांक 06.06.2016 को प्रारम्भ किया जा चुका है।

Online Building Plan Approval System (BPAS) के तहत आवेदित प्रकरणों में भवन निर्माण मानचित्रों का भवन विनियमों के अनुरूप परीक्षण तथा समस्त देय शुल्क यथा आवेदन शुल्क, अनुमोदन शुल्क एवं अन्य प्रकार के शुल्क आदि की गणना एवं गणना पश्चात् शुल्क हेतु डिमांड नोट, भवन मानचित्रों की सॉफ्ट कॉपी, अनुमोदित भवन मानचित्र एवं Approval Certificate आदि जारी किये जाने का प्रावधान निहित है।

ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन किये जाने के पश्चात् भवन मानचित्र का अनुमोदन आदेश क्रमांक F59/STP/DLB/BUILDING-B.Laws/(41)/16/416 Date 06.06.2016 में निर्धारित किये गये दिवसों में किया जाना आवश्यक है। ऑनलाइन अनुमोदन की प्रक्रिया विभाग की वैबसाईट (www.lsg.urban.rajasthan.gov.in> Applicant Corner> Online Procedure for applicantions/Apply Onloine>Building Plan Approval> Procedure/User manual /video>vies>Department>Procedure/User manual>view) पर उपलब्ध कराई गई है।

Online Building Plan Approval Sustem (BPAS) द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र एवं डिमाण्ड नोट अनुसार शुल्क जमा होने के पश्चात् जारी अनुमोदन अनुसार विकासकर्ता / भूखण्ड स्वामी द्वारा भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया से अनुमोदित भवन मानचित्रो को नगरीय निकाय की भवन निर्माण समिति में पुष्टि हेतु रखा जाकर अन्य शर्तें एंव यदि कोई अन्य बकाया शुल्क देय है, तो निकाय द्वारा जमा कराया जाकर भूखण्ड पर Plinth Level तक निर्माण होने से पूर्व स्वीकृति जारी की जानी अनिवार्य होगी। इसके पश्चात् आवेदक / विकासकर्ता की जिम्मेदारी नही होगी।

अतः राज्य की समस्त नगरीय निकायों को एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31 जून 2017 तक Manual आवेदित समस्त प्रकरणों का निस्तारण किया जावें एवं दिनांक 01.08.2017 से समस्त निकायों में चारदीवारी एवं पुरानी आबादी क्षेत्र को छोडते हुए बाहरी क्षेत्र में स्थित 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षैत्रफल की भूखण्डो पर निर्माण हेतु ऑन लाइन BPAS एवं फॉयर एन.ओ.सी., 90ए रूपान्तरण तथा भू–उपयोग परिवर्तन अनिवार्य रूप से लागू किया जाना होगा।

ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन (आवेदक द्वारा) तथा निस्तारण (निकाय द्वारा) के दौरा BPAS Application के संबंध में किसी तकनीकी जानकारी के संबंध में निदेशालय के आदेश क्रमांक F59-STP/DLB/Ease-D.B.(91)/15/590-602 Date 03-08-2016 के तहत नियुक्त प्रभारी अधिकारी श्री डी.के. जिन्दल को Grievances प्रस्तुत किये जा सकते है। BPAS के संबंध में तकनीकी सहयोग / राय हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय से सम्पर्क करें तथा उक्त सभी ऑनलाइन एप्लीकेशन तकनीकी जानकारी (Operating System) / यूजर आई.डी. व पासवर्ड के लिये स्मार्टराज प्रोजेक्ट की तकनीकी प्रतिनिधि श्री अमोल वानखेडे मो.नं. 9461512331, श्री सुशील मो. नं. 9461100916, श्री अफरोज मो. नं. 9782396862 से सम्पर्क करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : मॉ. प्रकोष्ठ / स्मार्टराज / ऑनलाईन / डीएलबी / 2017 / 16444-16657 जयपुर, दिनांकः 31/7/2017
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त नगर निगम जयपुर / जोधपुर / अजमेर / कोटा / उदयपुर / भरतपुर / बीकानेर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
6. क्षैत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / बीकानेर ~~जोन~~।
7. क्षैत्रीय उप निदेशक, स्थनीय निकाय विभाग, जयपुर / जोधपुर / कोटा / अजमेर / उदयपुर / भरतपुर।
8. आयुक्त नगर परिषद, समस्त। राजस्थान
9. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, समस्त। राजस्थान
10. श्री देवेन्द्र कुमार जिन्दल, प्रभारी अधिकारी मॉनिटरिंग, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सिस्टम एनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
12. सीएमएआर को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को सीएमएआर की वैबसाईट पर अपलोड करावें।

31/7/17
for वरिष्ठ नगर नियोजक